

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बांका

पत्रांक - 1355 (सिउ०)

दिनांक 24-08-22

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी
जिला सामान्य शाखा
बांका

विषय:- पथ प्रमंडल, बांका अन्तर्गत अमरपुर-शमूगज पथ के 1ले कि०मी० में मौजा कशोपुर, थाना नं०-19, खाता-69(क), खेयरा-174, थाना-शमूगज, जिला-बांका अन्तर्गत प्रस्तावित इंडिसन ऑयल कॉरपोरेशन लि० का रिटेल आउटलेट (किसान सेवा केन्द्र) निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- आपके पत्रांक 600/सा० दिनांक 26.12.2019, अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर के पत्रांक 759 (अनु०) दिनांक 17.08.2022 एवं मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 925(अनु०) दिनांक 02.08.2022

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 925(अनु०) दिनांक 02.08.2022 द्वारा पथ प्रमंडल बांका अन्तर्गत अमरपुर-शमूगज पथ के 1ले कि०मी० में मौजा कशोपुर, थाना नं०-19, खाता-69(क), खेयरा-174, थाना-शमूगज, जिला-बांका अन्तर्गत प्रस्तावित इंडिसन ऑयल कॉरपोरेशन लि० का रिटेल आउटलेट (किसान सेवा केन्द्र) स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग के भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश पत्रांक 4770(E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प सं० - 1921 (S) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष के बाद नवीकरण करना अनिवार्य होगा।
3. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की दक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।

अनु० :- (1) पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के अनुमोदित नक्शा मूल में।
(2) प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका